

## कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-77/2017-18/

दिनांक : /12/2017

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी,  
नगर पा लका परिषद, नरेन्द्रनगर,  
जनपद- टिहरी गढ़वाल  
उत्तराखण्ड

वषय : नगर पा लका परिषद, नरेन्द्रनगर का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 08 प्रस्तर एवं STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 46/2017-18/

दिनांक : /11/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत :

- 1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड साईं इस्टीट्यूट के पास, देहरादून
- 2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोड: 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी स्थानीय निकाय

## भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ. तथा श्री अमित कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **28.03.16** से **02.04.16** तक संपादित की गयी थी | जिसमें माह **04/2012** से **03/2015** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-**
  - (i) भौगोलिक क्षेत्र: **8.74 वर्ग कि.मी.**
  - (ii) जनसंख्या: **6,119**
  - (iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **07**
  - (iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **07 बैठकें**
  - (v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**
  - (vi) कर्मचारियों की संख्या: **01 नियमित तथा 15 आउटसोर्सिंग पर**
  - (vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **14 दुकानें |**
  - (viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**
  - (ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
  - (x) (अ) सामाजिक संरक्षा:  
(ब) रोजगार सृजन से संबंधित:  
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:  
(द) लाभार्थियों की संख्या:
  - (xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
  - (xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय  
(अ) सामान्य :  
(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | **: आय-व्यय विवरण के अनुसार**
  - (xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

**भाग-I. 2(ii)(स)**

**कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण**

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	580000	580000	550926	29074
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	29074	837000	866074	293681	572393
2014-15	बी.आर.जी.एफ.	1010264	0	1010264	1010264	0
2015-16	बी.आर.जी.एफ.	0	10000	10000	10000	0
2016-17	बी.आर.जी.एफ.	0	0	0	0	0
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	1783500	1783500	790975	992525
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	992525	1429000	2421525	2410000	11525

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि (₹) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
							आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
<b>2014-15</b>	328464	1259054	1509000	1279597	6793000	4622869	0	557867	0	3429185
<b>2015-16</b>	557867	3429185	3417618	3465953	7344500	7910325	0	509532	0	2863360
<b>2016-17</b>	509532	2863360	3212232	3492050	4039000	3689871	0	229714	0	3212489
<b>कुल योग</b>			<b>8138850</b>	<b>8237600</b>	<b>18176500</b>	<b>16223065</b>				

**भाग-I. 2(ii)(अ)****कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण**

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2	राज्य वित्त आयोग	272000	1116000	1388000	1205501	182499
3	अवस्थापना विकास निधि	248790	1955000	2203790	598885	1604905
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	सांसद निधि	0	0	0	0	0
6	बी.आर.जी.एफ.	1010264	0	1010264	1010264	0
7	यू.बी.आर.जी.एफ.	0	700000	700000	687300	12700
8	जिला योजना - पर्यटन	0	400000	400000	400000	0
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	1500000	1500000	0	1500000
10	एस.सी.पी. योजना	0	2238000	2238000	1926420	311580
11	पार्क निर्माण योजना	0	0	0	0	0
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	56464	393000	449464	74096	375368
	<b>कुल योग</b>	<b>1587518</b>	<b>8302000</b>	<b>9889518</b>	<b>5902466</b>	<b>3987052</b>

**कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण**

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	580000	580000	550926	29074
2	राज्य वित्त आयोग	182499	1116000	1298499	1298499	0
3	अवस्थापना विकास निधि	1604905	660000	2264905	1872723	392182
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	1783500	1783500	790975	992525
5	सांसद निधि	0	250000	250000	248629	1371
6	बी.आर.जी.एफ.	0	10000	10000	10000	0
7	यू.बी.आर.जी.एफ.	12700	0	12700	0	12700
8	जिला योजना - पर्यटन	0	0	0	0	0
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	1500000	2500000	4000000	3172823	827177
10	एस.सी.पी. योजना	311580	561000	872580	666856	205724
11	पार्क निर्माण योजना	0	1000000	1000000	597393	402607
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	375368	2301618	2676986	2167454	509532
<b>कुल योग</b>		<b>3987052</b>	<b>10762118</b>	<b>14749170</b>	<b>11376278</b>	<b>3372892</b>
-----						

**कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण**

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	29074	837000	866074	293681	572393
2	राज्य वित्त आयोग	0	1116000	1116000	1116000	0
3	अवस्थापना विकास निधि	392182	1523000	1915182	0	1915182
4	स्वच्छ भारत मिशन	992525	1429000	2421525	2410000	11525
5	सांसद निधि	1371	250000	251371	230290	21081
6	बी.आर.जी.एफ.	0	0	0	0	0
7	यू.बी.आर.जी.एफ.	12700	0	12700	0	12700
8	जिला योजना - पर्यटन	0	0	0	0	0
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	827177	0	827177	147569	679608
10	एस.सी.पी. योजना	205724	0	205724	205724	0
11	पार्क निर्माण योजना	402607	0	402607	402607	0
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	509532	2096232	2605764	2376050	229714
<b>कुल योग</b>		<b>3372892</b>	<b>7251232</b>	<b>10624124</b>	<b>7181921</b>	<b>3442203</b>

---

**लेखाओं पर टिप्पणी:-**

- (i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृत्यान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |
- (ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

**भाग-I. 2(ii)(स)**

**कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण**

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	580000	580000	550926	29074
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	29074	837000	866074	293681	572393
2014-15	बी.आर.जी.एफ.	1010264	0	1010264	1010264	0
2015-16	बी.आर.जी.एफ.	0	10000	10000	10000	0
2016-17	बी.आर.जी.एफ.	0	0	0	0	0
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	1783500	1783500	790975	992525
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	992525	1429000	2421525	2410000	11525
-----						



## भाग II- 'ब'

**प्रस्तर 1: इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से ₹72,910/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।**

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं। उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है।”

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है।

नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली के चयनित निर्माण कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार चयनित **15** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **₹72,90,937/-** की धनराशि का भुगतान किया गया। इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **₹72,910/-** की धनराशि की कटौती करके संबन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई।

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया। इकाई ने आगे बताया कि लेबर सेस की धनराशि **₹72,910/-** को संबन्धित ठेकेदारों से वसूलने के पश्चात राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा वसूली हेतु संबन्धित ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था। उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग II- 'ब'

**प्रस्तर 2: ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना ।**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग-अलग रंगों में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू-भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू-भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली के ठोस अपशिष्ट से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर पंचायत परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2.0 मीट्रिक टन अपशिष्ट का पृथकीकरण नहीं किया जा रहा था तथा ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु खुले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के मानदंडों जैसे भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु भी नियमावली के मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट के पास बिन एवं वाहनों में आवश्यकता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियाँ पाई गईं:-

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम		आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
बिन (4.0 घन मी.)		150	40	110
वाहन	पिकप	03	01	02

इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था तथा नगर पंचायत के पास आवश्यकता के सापेक्ष बिन एवं वाहनों की उपलब्धता में भी कमी पाई गई।

इसे इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु नियमावली में वर्णित मानदंडों का किसी भी स्तर पर अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग II- 'ब'

### प्रस्तर 3: `758121.00 धनराशि की सामग्री क्रय की देयता के भुगतान का लंबित रहना।

नगर पंचायत, पोखरी, जनपद चमोली की वर्ष 2016-17 के सामग्री क्रय संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा मै° शार्प ट्रेडिंग कांपेरिशन, देहरादून एवं मै° अमित ट्रेडर्स, ऋषिकेश को क्रमशः विद्युत सामग्री एवं सफाई सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये थे जिनके सापेक्ष उक्त फ़र्मों द्वारा सामग्री आपूर्ति के उपरांत निम्न बीजक/बिल भुगतान हेतु नगर पंचायत पोखरी को प्रेषित किए गए थे: -

क्रमांक	फ़र्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि	टिप्पणी
1.	मै° शार्प ट्रेडिंग कांपेरिशन	21168	22/10/16	<b>73395.00</b>	विद्युत सामग्री
2.		21167	22/10/16	<b>412086.00</b>	
3.	मै° अमित ट्रेडर्स, ऋषिकेश	1491	23/02/17	<b>81000.00</b>	सफाई सामग्री/ उपकरण
4.		1492	27/02/17	<b>81000.00</b>	
5.		1460	03/11/16	<b>71740.00</b>	
6.		1461	03/11/16	<b>38900.00</b>	
<b>कुल योग =</b>				<b>758121.00</b>	

आगे जांच में पाया गया कि उपरोक्त बिलों का आतिथि (नवम्बर 2017) तक संबन्धित फ़र्म्स को भुगतान नहीं किया गया था जिसके कारण इकाई पर `758121.00 की देयता थी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि उक्त सामग्री निर्धारित समयानुसार एवं मानकों के अनुसार फ़र्म्स द्वारा आपूर्ति कर दी गयी थी जिसका इकाई द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, शीघ्र ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त बिलों के भुगतान न किए जाने पर इकाई पर `758121.00 की देयता बनी हुयी थी।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

### भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक की संप्रेक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2017 से 17 नवम्बर 2017 तक संपादित की गयी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरोँ का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-93/2015-16/227 दिनांकित 10.06.2016	शून्य	4(ब)-II के प्रस्तर संख्या 01 से 03

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरोँ की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-93/2015-16/227 दिनांकित 10.06.2016	शून्य	इकाई द्वारा लेखापरीक्षा दल को अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई। इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि प्रतिवेदन के प्रस्तरोँ की अनुपालन आख्या शीघ्र तैयार कर प्रेषित कर दी जायेगी।	इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रस्तरोँ की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तरोँ का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका।	

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

**भाग - V**  
**आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i) }  
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ: **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री प्रकाश सिंह फोनिया	अधिशाली अधिकारी	01.04.15 से 31.07.17 तक
02.	श्री नन्दराम तिवाड़ी	अधिशाली अधिकारी	01.08.17 से वर्तमान तक
03.	श्री सुशीला रावत	अध्यक्षा	04.05.13 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/34 दिनांकित 18.11.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी  
स्थानीय निकाय